


भारत सरकार  
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय  
(सीसीडी अनुभाग)

विषय -केन्द्रीय कुष्ठ रोग प्रशिक्षण और अनुसधान संस्थान (आरएलटीआरआई), आस्का, में  
फार्मासिस्ट के पद के लिए भर्ती नियमों में संशोधन पर सार्वजनिक नोटिस के संबंध में।

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 13.10.2015 के का.ज्ञ.सं एबी. 14017/61/2008-  
स्था.(आरआर) के अनुपालन में, केन्द्रीय कुष्ठ रोग प्रशिक्षण और अनुसधान संस्थान  
(आरएलटीआरआई), आस्का में फार्मासिस्ट के पद के लिए भर्ती नियमों का मसौदा संलग्न है।

2. भर्ती नियमों के मसौदे पर कोई आपत्तियाँ/टिप्पणियाँ या सुझाव देने वाले इच्छुक हितधारक  
मसौदा भर्ती नियमों के प्रकाशन की तारिख से 30 दिनों की अवधि के भीतर लिखित रूप में अपनी  
आपत्तियाँ/टिप्पणियाँ या सुझाव, श्री अम्बा दत्त बवाड़ी, अवर सचिव, स्वास्थ्य और परिवार  
कल्याण मंत्रालय, कमरा सं. 753-क, निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली-110008 या ई-  
मेल पर भेज सकते हैं।

  
(अम्बा दत्त बवाड़ी)  
अवर सचिव, भारत सरकार  
दूरभाष 23061510

नई दिल्ली  
दिनांक





**फार्मसिस्ट**

<p>प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती कि दिशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा</p>	<p>यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना</p>	<p>भर्ती करने में किन परिस्थियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा</p>
<p>(11) लागू नहीं</p>	<p>(12)</p> <p>समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. निदेशक-आरएलटीआरआई आसका अध्यक्ष</li> <li>2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी - आरएलटीआरआई आसका -सदस्य</li> <li>3. वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी आरएलटीआरआई, आसका-सदस्य</li> <li>4. क्षेत्र में दूसरे केंद्र/राज्य के राजपत्रित अधिकारी -सदस्य</li> </ol>	<p>(13) लागू नहीं</p>